न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.:– 109 / 2024

1. रजिराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल साकिन 33 एलएलडब्ल्यू ढ़ाणी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सेठाराम पुत्र मंगतूराम जाति मेघवाल साकिन 33 एलएलडब्ल्यू ढ़ाणी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. पालाराम पुत्र गिरधारीराम
2. प्रेमकुमार पुत्र रजीराम
3. चूनीराम पुत्र मंगतूराम
4. मंगतूराम पुत्र जेसाराम
5. विनोदकुमार पुत्र रजीराम
6. भागवन्तीदेवी पत्नि श्योपतराम
7. रामस्वरूप पुत्र श्योपतराम
8. रमेशकुमार पुत्र श्योपतराम
9. कलावती पत्नि सुरजाराम
10. जसवन्तसिंह पि. सुरजाराम
11. दयाराम
12. वेदप्रकाश
13. रोशनी पुत्री सुरजाराम
14. ममता पुत्री मदनलाल
15. सरोज पत्नि मदनलाल

जाति मेघवाल साकिन 33 एलएल डब्ल्यू ढाणी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिलाहनुमानगढ

16. अरविन्दकुमार पुत्र मदनलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता सरोजदेवी जाति मेघवाल साकिन 33 एलएलडब्ल्यू ढ़ाणी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागढ़ राजस्थान ।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया	प्रार्थीगण
2. श्री मदन लाल मेहरड़ा	अप्रार्थी संख्या 1 ता 9, 11,16
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 17

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

दिनांक :– 29/01/2025

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री [illegible] के [illegible] प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि [illegible] का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में सही अंकित है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 137 / 48 प.न.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

30/233 मु.न. 36 कि.न. 21 ता 25 व प.न. 31/233 मु.न. 35 कि.न. 1/1 ता 5/2, व प.न. 33/235 मु.न. 49 कि.न. 25/2 की कुल 2.6570 है. नहरी मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी न. 1 के नाम 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी न. 2 के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी न. 5 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है। 3. यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 122/53 प.न. 30/233 मु.न. 36 कि.न. 6 ता 10 व प.न. 31/232 मु.न. 30 कि.न. 21 ता 25/2 व प.न. 33/234 मु.न. 46 कि.न. 1/1 ता 11/2, 19/1 की कुल 5.4390 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी न. 2 के नाम 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी न. 2 के नाम 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी न. 4 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 59/49 प.न. 30/232 मु.न. 29 कि.न. 21 ता 25 व प.न. 30/233 मु.न. 36 कि. न. 1 ता 5 व प.न. 33/234 मु.न. 46 कि.न. 12 ता 18, 19/2, 22/1 ता 25/2 की कुल 5.4400 है. नहरी, अनकमाण्ड मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 6 के नाम 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी न. 7 के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी न. 8 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है ।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 136/48 प.न. 30/233 मु.न. 36 कि.न. 16 ता 20 व प.न. 33/235 मु.न. 49 कि.न. 4, 7, 14, 25/1 की कुल 2.1500 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है ।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 138/48 प.न. 30/233 मु.न. 36 कि.न. 11 ता 15 व प.न. 33/235 मु.न. 49 कि.न. 5, 6, 15, 16 प.न. 34/234 मु.न. 47 कि.न. 11 ता 25, की कुल 6.0720 है. नहरी, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 16 के नाम 11/72 हिस्सा व अप्रार्थी न. 9 के नाम 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी न. 10 के नाम 5/24 हिस्सा व अप्रार्थी न. 11 के नाम 5/24 हिस्सा व अप्रार्थी न. 12 के नाम 5/24 हिस्सा व अप्रार्थी न. 13 के नाम 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी न. 14 के नाम 1/36 हिस्सा व अप्रार्थी न. 15 के नाम 1/36 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 ता 6 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू मय अपने ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाड़ी [illegible] पैदल चल कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि में आना जाना [illegible] के तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू का प.न. 30/233 मु.न 36 के कि.न. 5/0.0190, [illegible] 15/0.0190, 16/0.0190, 25/0.0190 कुल 0.0950 है. मे चालू रास्ता में से काफी समय से बतौर रास्ता के आना जाना कर रहे है। जो उक्त प.न. 30/233 के कि.न. 5, [illegible] 15, 16, 25 की पश्चिम दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 5 बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 11/2 बिस्वा चौड़ा रास्ता मौका पर चालू है। जिसे प्रार्थीगण स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करवाना चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जो उक्त चक 33 एल एल डब्ल्यू का प.न. 30/234 मु.न. 43 के कि.न. 1 ता 5 में प्रत्येक बीघा में 0.0250–0.0250 है. स्वीकृत शुदा व चालू रास्ता में मिलता हुआ रास्ता है। उक्त चाहा गया रास्ता 40 वर्षो से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को लगता हुआ रास्ता चालू है। एंव उक्त चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को नहीं लगता है। उक्त चाहा रास्ता उक्त अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमति से चालू है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी को सुविधा होने से उक्त चाहा गया रास्ता के बदले प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने कोई भूमि के बदले भूमि या कोई राशि का लेन देन नहीं किया गया है।

यह कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को अप्रार्थीगण न. 16 भू–धारक होने से पक्षकार बनाया है ताकि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे।

यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावेः–

(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू का प.न. 30/233 मु.न 36 के कि.न. 5/0.0190, 6/0.0190, 15/0.0190, 16/0.0190, 25/0.0190 की कुल 0.0950 है. को गै. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू का प.न. 30/233 मु. न. 36 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 की पश्चिम दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 5 बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 1½ बिस्वा चौड़ा रास्ता मौका पर चालू है। जिसे स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीसंख्या 1 ता 9, 11 व 16 दिनांक 10.07.24 को प्रार्थीगण के साथ स्वयं हाजिर आये तहरीर शुद्धा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा उभयपक्ष निम्न प्रकार से है:–

यह कि प्रार्थी नं. 1 व 2 व अप्रार्थी नं. 1 ता 9, 11, 16 का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाबत लोक अदालत की भावना से आपस में निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है। ता कि विवाद आगे ना बढ़े व स्थाई शान्ति बनी रहे। पक्षकारान आज श्री मान जी के न्यायालय/लोक अदालत में अपने पहचान के आधार कार्ड आदि सबूतों के साथ अपना राजीनामा तस्दीक करवाने हेतू हाजिर हैं। राजीनामा स्वीकार किया जावे। व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर निम्न प्रकार से चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जो कि मौका पर रास्ता आने जाने हेतू चालू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:37 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू का प.न. 30/233 मु. न 36 के कि.न. 5/0.0190, 6/0.0190, 15/0.0190, 16/0.0190, 25/0.0190 की कुल 0.0950 है. को गै. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 33 एल एल डब्ल्यू का प.न. 30/233 मु.न. 36 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्व दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 5 बीघा लम्बा व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पूर्व–पश्चिम 1½ बिस्वा चौड़ा रास्ता मौका पर चालू है। जिसे स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ग) उक्त चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को नहीं लगता है। उक्त चाहा रास्ता उक्त अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमति से चालू है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी को सुविधा होने से उक्त चाहा गया रास्ता के बदले प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने कोई भूमि के बदले भूमि या कोई राशि का लेन देन नहीं किया गया है।

(घ) कि अप्रार्थी न. 16 की आयू 20 वर्ष हो चुकी है। जिससे राजीनामा हेतू अप्रार्थी 16 अरविन्द कुमार स्वयं हाजिर अदालत है। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

अतः प्रार्थी नं. 1 व 2 व अप्रार्थी न. 1 ता 9, 11, 16, का उक्त अनुसार लिखित में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष एंव मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किया जावे एंव रास्ता के एवज में राजीनामा में पक्षकारान को दी गई कृषि भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

राजीनामा पर हस्ताक्षर उभय पक्ष के बाद पहचान साबित होने पर तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो पत्रांक 644 दिनांक 29.08.24 से प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प.नं. 30/233 (36) कि.नं. 5/0.013, 6/0.013, 15/0.013, 16/0.013, 25/0.013, कुल 0.065 हैक्ट. (प्रत्येक के पूर्व दिशा में 0.012 हैक्ट छोड़कर, उत्तर–दक्षिण लम्बवत) मौके पर चालू है। प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते से कम दूरी का कोई अन्य रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है।

अप्रार्थी संख्या 10, एवं 12 ता 15 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर भी हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 10, एवं 12 ता 15 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

—:आदेश:—

बहस उभय पक्ष अधिवकता सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा बहस में कथन किया गया कि राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट का अध्ययन किया गया एवं दस्तावेजों राजीनामा एवं शपथ पत्रों का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के संबंध में प्रभावित पक्षकारों के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प.नं. 30/233 (36) कि.नं. 5/0.013, 6/0.013, 15/0.013, 16/0.013, 25/0.013, कुल 0.065 हैक्ट. (प्रत्येक के पूर्व दिशा में 0.012 हैक्ट. छोड़कर, उत्तर–दक्षिण लम्बवत) मौके पर चालू है। प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है प्रार्थी /प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:41:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते से कम दूरी का कोई अन्य रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है। वर्तमान में चाहा गया रास्ता चालू है एवं अन्य कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यांतिक श्रेणी का होने के कारण एवं कमदूरी का है इसलिए राजीनामा एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा के चक 33 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 30/233 (36) कि.नं. 5/0.0190, 6/0.0190, 15/0.0190, 16/0.0190, 25/0.0190, कुल 0.0950 हैक्ट. (प्रत्येक के पूर्व दिशा में, उत्तर-दक्षिण लम्बवत्) मौके पर चालू रास्ता राजीनामा अनुसार बिना किसी प्रतिकर के स्वीकार किया जाता है।

आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 29/01/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:37 IST
Reason: SelfAttested